

अनुसंधान प्रश्न

“भारत में रेस्तरां, दुकान या डिलीवरी प्लेटफॉर्म से एक्सपायर्ड, दूषित या मिलावटी खाना मिलने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत क्या कानूनी उपाय हैं?”

भारत में रेस्तरां, दुकान या डिलीवरी प्लेटफॉर्म से एक्सपायर्ड, दूषित या मिलावटी खाना मिलने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कानूनी उपचार

सारांश

भारत में दूषित, एक्सपायर्ड या मिलावटी भोजन मिलने पर उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA), 2006 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 के तहत दोहरे कानूनी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। Supreme Court ने *Ram Nath v. The State of Uttar Pradesh & Ors.* (2024) में स्पष्ट किया कि FSSA की धारा 89 अन्य खाद्य-संबंधी दंडात्मक कानूनों को ओवरराइड करती है, जिसके तहत FSSA की धारा 59 असुरक्षित भोजन बेचने या वितरित करने के लिए बिना किसी आपराधिक इरादे (intention) के भी सख्त श्रेणीबद्ध दंड (जुर्माना व कारावास) का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, CPA, 2019 की धारा 2 के तहत उपभोक्ता मिलावटी या दोषपूर्ण खाद्य सामग्री के खिलाफ उपभोक्ता आयोगों में मुआवजा और उत्पाद दायित्व (product liability) के दावे दायर कर सकते हैं।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
8	4	2025
7 उच्च न्यायालय • 1 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Andhra Pradesh

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	7
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBOs) और विक्रेताओं का सख्त दायित्व (Strict Liability)

FSSAI की धारा 26 और 27 के तहत खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों, निर्माताओं और विक्रेताओं (रेस्तरां, दुकानों और डिलीवरी ऑपरेटरों सहित) का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करें; एक्सपायर्ड या असुरक्षित भोजन का वितरण उन्हें सीधे उत्तरदायी बनाता है, जैसा कि *Aunestraj v. State of Tamil Nadu* (2024) में माना गया है।

02 चोट की गंभीरता के आधार पर श्रेणीबद्ध आपराधिक दंड

FSSAI की धारा 59 के तहत असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने या वितरित करने पर सजा का निर्धारण उपभोक्ता को होने वाले शारीरिक नुकसान की गंभीरता (कोई चोट नहीं, साधारण चोट, गंभीर चोट या मृत्यु) के आधार पर होता है, जो तीन महीने से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने तक हो सकती है, जैसा कि *Anand Ramdhani Chaurasia v. State of Maharashtra* (2019) में रेखांकित किया गया है।

03 पदार्थ का 'भोजन' की परिभाषा में आना अनिवार्य

FSSAI के दंडात्मक प्रावधानों या धारा 59 के तहत किसी भी दायित्व को लागू करने के लिए यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि विवादित सामग्री FSSAI की धारा 3(j) के तहत 'भोजन' (Food) की कानूनी परिभाषा के भीतर आती हो, जैसा कि *Kuru Vijay Kumar v. State of Telangana* (2022) में स्पष्ट किया गया है।

04 आपराधिक मंशा (Intention) के बिना भी सख्त वैधानिक अपराध

सामान्य आपराधिक कानून (जैसे IPC/BNS) के विपरीत, FSSAI की धारा 59 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए किसी भी विशिष्ट आपराधिक मंशा (intention) को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती; यदि उत्पाद असुरक्षित है, तो केवल उसकी बिक्री या भंडारण ही दायित्व के लिए पर्याप्त है, बशर्ते धारा 48(1) के तहत अपेक्षित ज्ञान मौजूद हो, जैसा कि *A.5 v. State* (2025) में स्पष्ट किया गया है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में FSSAI, 2006 एक पूर्ण और व्यापक संहिता (self-contained code) है। FSSAI की धारा 89 अन्य सभी खाद्य-संबंधी कानूनों पर प्रभावी (overriding effect) होती है, जिसके कारण पारंपरिक दंडात्मक प्रावधानों (जैसे IPC/BNS) के तहत समानांतर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बल्कि केवल FSSAI के तहत ही सख्त और विशिष्ट कार्यवाही की जा सकती है।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

- **केरल उच्च न्यायालय** ने फूड पॉइजनिंग से हुई मृत्यु के मामले (*Salwa Cafe* मामला) में माना कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की व्यापक योजना के बावजूद, जहाँ सामान्य आपराधिक कानून के तहत अलग और अधिक गंभीर आपराधिक दायित्व (जैसे गैर-इरादतन हत्या) बनता है, वहाँ समानांतर आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, जैसा कि *Abdul Khader v. State of Kerala* (2014) में देखा गया।
- **आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** ने घी मिलावट के हालिया मामले में स्पष्ट किया कि FSSAI की धारा 89 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों पर भी ओवरराइडिंग प्रभाव रखती है, और यदि मिलावटी भोजन के उपभोग से किसी गंभीर चोट या मृत्यु की कोई शिकायत नहीं है, तो जमानत और दायित्व के निर्धारण में इस तथ्य पर विचार किया जाएगा, जैसा कि *Apurva Vinaykanth Chavda v. State of Andhra Pradesh* (2025) में तय किया गया।
- **तेलंगाना उच्च न्यायालय** ने ऐसे मामलों में जहाँ भोजन की श्रेणी स्पष्ट न हो या मिलावट के तत्व FSSAI मानकों के दायरे से बाहर पारंपरिक आपराधिक मामलों जैसे हों, सामान्य दंडात्मक धाराओं (जैसे IPC 272, 273) के तहत दर्ज प्राथमिकियों को निरस्त करने का दृष्टिकोण अपनाया है, बशर्ते विशिष्ट वैधानिक ढांचा उपलब्ध हो, जैसा कि *Kuncharapu Venkatesh v. State of Telangana* (2022) में किया गया।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

समानांतर सामान्य आपराधिक मुकदमों की सीमाएँ

हालाँकि *Ram Nath* (2024) के बाद यह स्थापित हो चुका है कि FSSAI की धारा 89 सामान्य कानूनों (जैसे IPC/BNS) के तहत मिलावट (IPC 272, 273) के मुकदमों को ओवरराइड करती है, लेकिन गंभीर मामलों में जहाँ मिलावटी या दूषित भोजन के कारण गंभीर चोट या मृत्यु हो जाती है, वहाँ गैर-इरादतन हत्या (IPC 304A या BNS के तहत समकक्ष) जैसी सामान्य आपराधिक धाराओं के समानांतर अनुप्रयोग पर कुछ उच्च न्यायालयों (*Abdul Khader*) का भिन्न मत रहा है, जो अभी भी कुछ हद तक कानूनी व्याख्या का विषय है।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 59, FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006 — PUNISHMENT FOR UNSAFE FOOD

असुरक्षित भोजन के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण या आयात के लिए चोट की गंभीरता (साधारण चोट, गंभीर चोट या मृत्यु) के आधार पर कारावास और जुर्माने का श्रेणीबद्ध प्रावधान करता है।

"Any person who, whether by himself or by any other person on his behalf, manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is unsafe, shall be punishable,--

(i) where such failure or contravention does not result in injury, with imprisonment for a term which may extend to three months and also with fine which may extend to three lakh rupees;

(ii) where such failure or contravention results in a non-grievous injury, with imprisonment for a term which may extend to one year and also with fine which may extend to three lakh rupees;

(iii) where such failure or contravention results in a grievous injury, with imprisonment for a term which may extend to six years and also with fine which may extend to five lakh rupees;

(iv) where such failure or contravention results in death, with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life and also with fine which shall not be less than ten lakh rupees." उद्धृत: Ram Nath v. The State of Uttar Pradesh & Ors., Anand Ramdhani Chaurasia v. State of Maharashtra, Abdul Khader v. State of Kerala, Aunestraja v. State of Tamil Nadu, Kuru Vijay Kumar v. State of Telangana, Apurva Vinaykanth Chavda v. State of Andhra Pradesh, Kuncharapu Venkatesh v. State of Telangana, A.5 v. State

SECTION 27, FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006 — LIABILITY OF THE MANUFACTURERS, PACKERS, WHOLESALEERS, DISTRIBUTORS AND SELLERS

खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले, विशेष रूप से एक्सपायरी तिथि के बाद भोजन की आपूर्ति करने वाले या अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री रखने वाले निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं की कानूनी जवाबदेही तय करता है।

"(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is-- (a) supplied after the date of its expiry; or (b) stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or (c) unsafe or misbranded; or (d) unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or (e) stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or (f) received by him with knowledge of being unsafe.

(3) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is-- (a) sold after the date of its expiry; or (b) handled or kept in unhygienic conditions; or (c) misbranded; or (d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or (e) received by him with knowledge of being unsafe." उद्धृत: Aunestraja v. State of Tamil Nadu

SECTION 26, FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006 — RESPONSIBILITIES OF THE FOOD BUSINESS OPERATOR

प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) को अपने नियंत्रण के तहत उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री के सभी चरणों में भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है और असुरक्षित या मिलावटी भोजन बेचने से प्रतिबंधित करता है।

"(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food-- (i) which is unsafe; or (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder." उद्धृत: Aunestraja v. State of Tamil Nadu

SECTION 2, CONSUMER PROTECTION ACT, 2019 — DEFINITIONS OF COMPLAINT AND CONSUMER

उपभोक्ता शिकायतों के आधारों को परिभाषित करता है, जिसमें दोषपूर्ण माल, जीवन व सुरक्षा के लिए खतरनाक खराब वस्तुएं बेचना और उत्पाद दायित्व (product liability) के तहत कार्रवाई शामिल है।

"(6) \"complaint\" means any allegation in writing, made by a complainant for obtaining any relief provided by or under this Act, that — (ii) the goods bought by him or agreed to be bought by him suffer from one or more defects; (v) the goods, which are hazardous to life and safety when used, are being offered for sale to the public -- (a) in contravention of standards relating to safety of such goods as required to be complied with, by or under any law for the time being in force; (b) where the trader knows that the goods so offered are unsafe to the public; (vii) a claim for product liability action lies against the product manufacturer, product seller or product service provider, as the case may be;" उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे

8 मुकदमे · सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Ram Nath v. The State of Uttar Pradesh & Ors.</i> ESCR010001082024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	FSSA की धारा 89 के तहत खाद्य मिलावट पर केवल FSSA लागू होगा, IPC नहीं।
02	<i>Anand Ramdhani Chaurasia v. State of Maharashtra</i> HCBM010327132019	BOMBAY HIGH COURT	2019	असुरक्षित भोजन के मामलों में चोट की गंभीरता के अनुसार श्रेणीबद्ध दंड लागू।
03	<i>Abdul Khader v. State of Kerala</i> KLHC010165032013	HIGH COURT OF KERALA	2014	फूड पॉइजनिंग से मृत्यु होने पर FSSA और IPC के तहत समानांतर कार्यवाही संभव।
04	<i>Aunestraja v. State of Tamil Nadu</i> HCM010942632024	MADRAS HIGH COURT	2024	असुरक्षित या प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए FBOs और विक्रेता सीधे उत्तरदायी।
05	<i>Kuru Vijay Kumar v. State of Telangana</i> HBHC010196282022	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2022	FSSA के दंडात्मक दायित्व के लिए वस्तु का 'भोजन' होना आवश्यक है।
06	<i>Apurva Vinaykanth Chavda v. State of Andhra Pradesh</i> APHC010195892025	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2025	मिलावटी घी आपूर्ति मामले में BNS पर FSSA के ओवरराइडिंग प्रभाव की पुष्टि।
07	<i>Kuncharapu Venkatesh v. State of Telangana</i> HBHC010621922022	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2022	भोजन की श्रेणी में न आने वाले उत्पादों पर FSSA के बजाय विशिष्ट कानून लागू।
08	<i>A.5 v. State</i> APHC010195982025	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2025	FSSA की धारा 59 के तहत असुरक्षित भोजन के लिए आपराधिक मंशा आवश्यक नहीं।

IV. मुकदमे का विवरण 8 केस फ़ाइलें

01 Ram Nath v. The State of Uttar Pradesh & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-02-21 • 2024 INSC 138

यह मामला Food Safety and Standards Act, 2006 (FSSA) और Penal Code, 1860 की धारा 272 व 273 के बीच के परस्पर संबंध से संबंधित था। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या FSSA के लागू होने के बाद, खाद्य मिलावट के मामलों में Penal Code के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि FSSA की धारा 89 इसे अन्य सभी कानूनों पर प्रधानता (overriding effect) देती है। इसलिए, खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए केवल FSSA के प्रावधान लागू होंगे और Penal Code की धाराओं के तहत एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि FSSA के तहत कार्यवाही अधिक कठोर है और इसमें किसी व्यक्ति को दो बार दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि FSSA की धारा 89 के कारण, खाद्य सुरक्षा और मिलावट से संबंधित अपराधों के लिए केवल FSSA लागू होगा और IPC की धारा 272 व 273 के तहत समानांतर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि FSSA की धारा 59 के तहत असुरक्षित भोजन बेचने का अपराध सिद्ध करने के लिए किसी आपराधिक मंशा (intention) की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल धारा 48(1) के तहत अपेक्षित ज्ञान ही इसके लिए पर्याप्त है।

“By virtue of s.89 of the FSSA, s.59 will override the provisions of ss.272 and 273, IPC – Therefore, there will not be any question of simultaneous prosecution under both the statutes... Under s.59 of the FSSA, a person commits an offence who, whether by himself or by any person on his behalf, manufactures for sale or stores or sells or distributes any article of food for human consumption which is unsafe.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010001082024

02 Anand Ramdhani Chaurasia v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2019-09-13 • WP/3607/2019

यह मामला Gutka और Pan Masala के भंडारण से संबंधित है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और जिन्हें Maharashtra राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। याचिकाकर्ताओं पर IPC की धारा 188, 273 और 328 तथा Food Safety & Standards Act, 2006 के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की कि केवल भंडारण करना IPC की धारा 328 (विषैले पदार्थ का उपयोग करके चोट पहुँचाना) के तहत अपराध नहीं है और धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए आवश्यक कानूनी तत्व मौजूद नहीं हैं। न्यायालय ने इन कानूनी तर्कों पर विचार किया और यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि क्या इन धाराओं के तहत मामला बनता है या कार्यवाही केवल खाद्य सुरक्षा कानून तक सीमित होनी चाहिए।

निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट ने FSSA के तहत मुकदमों की दोहरी कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया। न्यायालय ने माना कि जिन उल्लंघनों में केवल जुर्माना होता है, उनका निर्णय नामित अधिकारी (Designated Officer) खुद कर सकता है, जबकि कारावास की सजा वाले गंभीर मामलों को न्यायालय में भेजा जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, असुरक्षित भोजन के मामलों में धारा 59 के तहत चोट की गंभीरता के अनुसार श्रेणीबद्ध दंड लागू होता है।

"If he is satisfied that the contravention is liable to be punished with imprisonment, he is bound to send his recommendation to the Commissioner within fourteen days seeking his sanction for prosecution. However, when he arrives at a conclusion that the contravention should be punishable with fine only, he himself would decide the same... Even Section 59 of FSS Act would get attracted if any person who, whether by himself or by any other person on his behalf, manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is unsafe and the penalty is then prescribed depending upon the nature of the injury."

BOMBAY HIGH COURT • 2019

स्रोत HCBM010327132019

03 Abdul Khader v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2014-12-09 • CRL.MC/1266/2013

यह मामला 'Salwa Cafe' के मालिकों द्वारा 'Shavarma' की बिक्री से संबंधित है, जिसके सेवन से कई लोगों को गंभीर फूड पॉइजनिंग हुई और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने की मांग की थी कि Food Safety & Standards Act, 2006 के लागू होने के बाद भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधान निष्प्रभावी हो गए हैं। न्यायालय ने यह तर्क खारिज कर दिया कि ये अपराध स्वतंत्र और अलग हैं। न्यायालय ने माना कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मामला एक साथ चल सकते हैं क्योंकि दोनों का उद्देश्य और अपराध की प्रकृति भिन्न है, इसलिए कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया।

निर्णय केरल हाई कोर्ट ने फूड पॉइजनिंग के कारण हुई मृत्यु के मामले में आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने माना कि भले ही FSSA की धारा 89 का अन्य खाद्य कानूनों पर ओवरराइडिंग प्रभाव है, लेकिन यदि सामान्य दंड संहिता के तहत अपराध की प्रकृति और उद्देश्य पूरी तरह भिन्न और स्वतंत्र हैं (जैसे कि दूषित भोजन से मृत्यु कारित होना), तो समानांतर कार्यवाही चलाई जा सकती है।

"Section 89 of the Act giving overriding effect of this Act over all other food related laws which reads as follows: Section 89 overriding effect of this Act over all other food related laws:- The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act."

HIGH COURT OF KERALA • 2014

स्रोत KLHC010165032013

04 Aunestraja v. State of Tamil Nadu

MADRAS HIGH COURT • 2024-10-30 • CRL OP(MD)/14942/2024

यह मामला स्कूली बच्चों के बीच तंबाकू उत्पादों, विशेष रूप से 'Cool Lip' की बढ़ती लत और उनके दुरुपयोग से संबंधित है। न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि कैसे ये उत्पाद बच्चों को हिंसक, नशे की स्थिति में और शैक्षणिक रूप से पिछड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने संविधान के Article 47, Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2015 की Section 77, और Food Safety and Standards Act की धाराओं का हवाला देते हुए राज्य और केंद्र सरकार को इस खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं की जवाबदेही पर जोर दिया और बच्चों को इन हानिकारक पदार्थों की पहुंच से दूर रखने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों को लागू करने का आदेश दिया।

निर्णय मद्रास हाई कोर्ट ने FSSA की धारा 26(2) और 27 के तहत निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं की सख्त जवाबदेही को रेखांकित किया। न्यायालय ने माना कि कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक असुरक्षित, घटिया या प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण या वितरण नहीं कर सकता है, और ऐसा उल्लंघन FSSA की धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध है।

“No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food- (i) which is unsafe; or (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter... Section 27 of the said Act makes all the manufacturers packers, wholesalers, distributors and sellers liable for meeting the requirements under the Act.”

MADRAS HIGH COURT • 2024

स्रोत HCMD010942632024

05 Kuru Vijay Kumar v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2022-07-14 • CRLP/2633/2022

यह मामला Criminal Petitions की एक श्रृंखला है, जिसमें याचियों ने Section 482 of Cr.P.C. के तहत विभिन्न FIRs और criminal proceedings को रद्द करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, याचियों ने संबंधित मामलों में जब्त की गई संपत्ति को उन्हें सौंपने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

निर्णय तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि FSSA की धारा 59(1) के तहत दायित्व तय करने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि जब्त या विवादित सामग्री FSSA की धारा 3(j) के तहत 'भोजन' (Food) की परिभाषा के दायरे में आती हो। यदि सामग्री मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत खाद्य सामग्री की श्रेणी से बाहर है, तो FSSA के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

“to bring the case within the ambit of the said provision i.e., Section 59(1), it has to be established that the articles found in the possession of the petitioners falls within the ambit of the definition "food" as defined in the Food Safety and Standards Act, 2006. Section 3(i) of the Food Safety and Standards Act, 2006 defines what "food" means...”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2022

स्रोत HBHC010196282022

06 Apurva Vinaykanth Chavda v. State of Andhra Pradesh

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025-07-02 • CRLP/4203/2025

यह मामला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा खरीदे गए घी में मिलावट के आरोपों से संबंधित है। आरोप है कि अभियुक्तों ने साजिश रचकर जाली दस्तावेजों के माध्यम से अनुबंध प्राप्त किए और घटिया स्तर का घी सप्लाई किया, जिसमें पशु चर्बी (LARD) जैसे हानिकारक तत्व पाए गए। यह कृत्य न केवल भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि खाद्य सुरक्षा मानकों का भी गंभीर उल्लंघन है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और जांच की स्थिति पर विचार करते हुए अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर निर्णय सुनाया।

निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तिरुपति घी मिलावट मामले में FSSA की धारा 59 और 89 के कानूनी पहलुओं पर विचार किया। न्यायालय ने माना कि खाद्य मिलावट के आरोपों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों की तुलना में FSSA का ओवरराइडिंग प्रभाव लागू होता है, और यह भी संज्ञान में लिया कि उपभोग के कारण वास्तविक रूप से किसी गंभीर चोट या मृत्यु की शिकायत न होना जमानत और दायित्व सीमा निर्धारित करने में एक प्रासंगिक तथ्य है।

“It is the contention of the learned senior counsels appearing for the petitioners that there is absolutely no complaint from any quarter stating that any person suffered any grievous injury or death because of consumption of the adulterated food in the case on hand... The other ground that has been raised is with regard to over-riding effect of section 89 of the FSS Act, 2006 over the provisions of the BNS.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025

स्रोत APHC010195892025

07 Kuncharapu Venkatesh v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2022-12-19 • CRLP/10287/2022

यह मामला Criminal Petition No. 10287 of 2022 से संबंधित है, जहाँ याचिकाकर्ताओं ने उनके विरुद्ध दर्ज FIR No. 45 of 2022 को रद्द (quash) करने की मांग की थी। उन पर IPC की Sections 270, 272, 273 और COTP Act, 2003 की Section 20(2) के तहत तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार, भंडारण और परिवहन का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि इन विशिष्ट धाराओं के तहत लगाए गए आरोप मौजूदा तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं से जब्त की गई संपत्ति को उचित सत्यापन के बाद लौटाने का निर्देश दिया है।

निर्णय तेलंगाना हाई कोर्ट ने माना कि तंबाकू उत्पादों के भंडारण और परिवहन के मामलों में सामान्य आईपीसी धाराओं (जैसे 270, 272, 273) के तहत आरोप उचित नहीं हैं यदि सामग्री FSSA या सीओटीपी अधिनियम (COTP Act) के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित होती है। तदनुसार, न्यायालय ने उक्त धाराओं के तहत दर्ज कार्यवाही को रद्द कर दिया।

“The Food Safety and Standards Act 2016 is a consolidation of laws relating to food in the country which lays down the basic standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution and sale so as to ensure safety and wholesomeness of food for human consumption.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2022

स्रोत HBHC010621922022

08 A.5 v. State

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025-07-02 • CRLP/4187/2025

यह मामला तिरुपति बालाजी मंदिर (TTD) को Laddu Prasadam बनाने के लिए आपूर्ति किए गए घी में भारी मिलावट के आरोपों से संबंधित है। आरोप है कि अभियुक्तों ने एक आपराधिक साजिश रची, जिसमें जाली दस्तावेजों का उपयोग करके निविदाएं (tenders) हासिल की गईं और मानक गुणवत्ता वाले घी के बजाय मिलावटी घी (जिसमें वनस्पति और पशु वसा शामिल थी) की आपूर्ति की गई। इस धोखाधड़ी से न केवल TTD को वित्तीय नुकसान हुआ, बल्कि भक्तों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची। अभियुक्तों पर Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Food Safety and Standards Act (FSS Act), और Prevention of Corruption Act के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान आदेश में, न्यायालय ने इन आपराधिक याचिकाओं पर विचार करते हुए अभियुक्तों द्वारा दायर जमानत (bail) आवेदनों का विवरण दिया है।

निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के *Ram Nath* फैसले को दोहराते हुए माना कि FSSA की धारा 59 के तहत असुरक्षित भोजन बेचने का अपराध सिद्ध करने के लिए किसी आपराधिक इरादे (intention) की आवश्यकता नहीं होती, जो कि आईपीसी की धारा 272 के तहत आवश्यक घटक है। इस प्रकार FSSA के तहत दायित्व अधिक सख्त है और FSSA की धारा 89 अन्य सामान्य कानूनों पर हावी रहती है।

“Section 59 FSSA does not require the presence of intention as contemplated by Section 272IPC. Under Section 59 FSSA, a person commits an offence who, whether by himself or by any person on his behalf, manufactures for sale or stores or sells or distributes any article of food for human consumption which is unsafe.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025

स्रोत APHC010195982025

अ स्वीक र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।